(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 578–एक/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–3–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 151/05–06/निगरानी.

———

भंवरलाल पिता तुलसीराम
निवासी ग्राम चिकला
तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर .....आवेदक

विरूद्ध

रामचंद्र पिता धुराजी
निवासी ग्राम चिकला
तहसील सीतामऊ जिला .....अनावेदक

———

श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अनावेदक

———

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा कयामपुर के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों के खसरा के कॉलम नम्बर 12 पर उसका कब्जा दर्ज किये जाने के संबंध में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम फतेहपुर चिकली स्थित सर्वे नम्बर 474 रकबा 1.03 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 475 रकबा 0.39 वर्तमान में अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हैं । इसके पूर्व प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1991–92 में उसके दादाजी स्व. धुरा के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी, जिसका पुराना आराजी नम्बर 261, 262, 263 था, किन्तु अनावेदक जो कि उसके काका हैं, द्वारा धोखा धड़ी करके अपने नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करा ली गई है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियों पर

उसका आधिपत्य 20 वर्ष से निरंतर उसके दादाजी के समय से ही चला आ रहा है । अतः राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा अनुसार कब्जा दर्ज किया जाये । अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा कयामपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–6–अ/02–03 दर्ज कर दिनांक 10–2–03 को प्रश्नाधीन भूमियों के खसरा पांचसाला के कॉलम नम्बर 12 में आवेदक का कब्जा इंद्राज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ के समक्ष दिनांक 16–11–2005 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–6–06 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, मन्दसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11–8–2006 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–3–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की आपत्ति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु शुल्क जमा करने का कोई उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है और न ही विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त आधार नहीं दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार के अपील समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की गई है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आदेश की जानकारी का दिनांक 29–7–05 बताया गया है उसके उपरांत भी वह दिनांक 14–11–2005 को साढ़े तीन माह बाद तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ है और उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया

गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया । तर्कों के समर्थन में 1997 जे.एल.जे. 217, 1998 (1) जे.एल.जे. 51, 1989 आर.एन. 243 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है कि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अनावेदक को सूचना दिये बिना, एकपक्षीय रूप से अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर खसरा के कॉलम नम्बर 12 में आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं होना स्वाभाविक है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष भी निगरानियां प्रस्तुत की गई थी और अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह तीसरी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–:

"धारा 50–तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 391 ओम प्रकाश विरूद्ध मनोहर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 50–व्याप्ति निचले न्यायालयों के आदेश वैधानिक तथा उचित–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें इस निगरानी से परिवर्तन के आधार नहीं हैं । सभी बिन्दुओं का निम्न न्यायालयों द्वारा विचार किया जा चुका है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर